आईटीएम में 'नारी शक्ति वंदन-2026' पर हुआ व्याख्यान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 23 अप्रैल। आईटीएम के डब्ल्यूईसी द्वारा 'नारी शक्ति वंदन-2026' विषय पर विशेषज्ञ व्याख्यान का आयोजन किया गया। जहां विषय विशेषज्ञ के रूप में एडवोकेट डॉ.

छात्र-छात्राओं ने किए सवाल, विशेषज्ञ ने जवाब देकर किया संतुष्ट

अनुराधा सिंह शामिल हुईं। इस अवसर पर डब्ल्यूईसी अध्यक्ष डॉ. मेघा तलाण, प्रोष्ठ की सदस्य डॉ. प्रभा दीक्षित, डॉ. प्रियुषा नरवरिया सहित विभिन्न प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। स्वागत भाषण डॉ. प्रभा दीक्षित द्वारा दिया गया। इसके बाद विशेषज्ञ एडवोकेट डॉ. अनुराधा सिंह ने अपने व्याख्यान में नारी शक्ति वंदन की अवधारणा पर प्रकाश डालते हुए सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में महिलाओं की सहभागिता और सशक्तिकरण के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने महिलाओं के सम्मान, अधिकारों तथा लैंगिक समानता से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों, सरकारी पहलों और समाज की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और सशक्तिकरण के बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। ऐतिहासिक एवं समकालीन उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने विद्यार्थियों और शिक्षकों को एक समावेशी एवं समानता पूर्ण समाज के निर्माण में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।

इस विशेषज्ञ व्याख्यान का उद्देश्य समाज में महिलाओं की भूमिका, उनके अधिकारों तथा सशक्तिकरण के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। सत्र के अंत में प्रश्नोत्तर एवं संवाद का आयोजन किया गया। जहां छात्र-छात्राओं औ प्रतिभागियों ने अपने-अपने विचार रखने के साथ ही विशेषज्ञ से सवाल भी पूछे। जिनका विशेषज्ञ एडवोकेट डॉ. अनुराधा सिंह ने बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब देकर छात्र-छात्राओं की जिज्ञासाओं को शांत किया।

परिषद में नारी शक्ति वंदन पर हंगामा, कांग्रेस ने किया वॉकआउट

नारेबाजी के बीच प्रस्ताव पारित

ग्वालियर, 23 अप्रैल। नगर निगम परिषद की विशेष बैठक में आज हंगामे की स्थिति बन गई। शहर के विकास कार्यों पर चर्चा के लिए बुलाई गई यह बैठक 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को लेकर हुए विवाद के बाद स्थगित कर दी गई। कांग्रेस के पार्षदों ने महापौर के साथ वॉकआउट किया।

बैठक में 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि बिना सहमति के इस प्रस्ताव को जबरन पारित करने का प्रयास किया गया। हंगामे के बीच जमकर नारेबाजी हुई। स्थिति बिगड़ते देख सभापति मनोज तोमर ने एक एमआईसी सदस्य को सदन से बाहर कर दिया। इस कार्रवाई के विरोध में महापौर शोभा सिंह सिकरवार और सभी कांग्रेस पार्षदों ने बैठक से वॉकआउट किया।

महापौर डॉ. शोभा सिंह सिकरवार ने कहा कि 'नारी वंदन' प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति नहीं थी, लेकिन इसे तानाशाही तरीके से लाया और पारित कर दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में कांग्रेस की आवाज दबाई जाती है, वैसा ही निगम परिषद में भी किया जा रहा है।

सभापति ने आरोपों को किया खारिज

सभापति मनोज तोमर ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपनाई गई सभी प्रक्रियाएं नियमों के दायरे में थीं और बैठक का संचालन सबकी सहमति से किया गया था। सभापति ने कहा कि प्रस्ताव नियमानुसार पारित किया गया है और सदन की मर्यादा बनाए रखना सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है।

कार्यालय विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (माधवराव काउण्टर मैग्नेट)

शीतला सहाय प्रशासनिक भवन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, सौजना तिघरा, ग्वालियर (म.प्र.)

क्रमाक / विक्षेविप्रा/संपदा/2026-संपदा/242 ग्वालियर दिनांक 21/04/ /.04./2026

//सूचना//

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कीर्तीवर्द्धन पुत्र श्री किशोरी शरण गुप्ता निवास-पुराना बाजार, पोस्ट चिरगांव, जिला झांसी, उ.प्र. को साडा की आवासीय योजना में भूखण्ड सेक्टर-सी ब्लॉक-03 भूखण्ड क्रमांक 105 कार्नर एम.आई.जी. 200 वर्गमीटर आकार आवंटित किया गया था। श्री कीर्तीवर्द्धन द्वारा आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त भूखण्ड को आवंटन का अंतरण द्वारा श्री पंकज कुमार गुप्ता पुत्र श्री दिलीप कुमार गुप्ता निवास-66ए/06 डी नैनी, इलाहाबाद को किया जाने की अनुमति हेतु आवेदन मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। यदि किसी संस्था/व्यक्ति एवं अन्य किसी को कोई आपत्ति होतो वह अपनी आपत्ति 15 दिवस तक कार्यालय में प्रस्तुत करें नियत तिथि के पश्चात आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं नियमानुसार प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर हस्तारण की कार्यवाही की जावेगी।

संपदा अधिकारी साडा
(काउण्टर मैग्नेट) ग्वालियर

उटीला में 30 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा आरंभ

ग्वालियर। ग्राम उटीला में सिद्ध बाबा टोड बडईया के सामने श्रीमद् भागवत कथा का भव्य आयोजन 30 अप्रैल, गुरुवार से 6 मई, बुधवार तक किया जाएगा। कथा का वाचन पंडित सुनील कृष्ण शास्त्री महाराज द्वारा किया जाएगा।

कथा प्रतिदिन दोपहर 1:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी। इस धार्मिक आयोजन में परीक्षित के रूप में गायत्री एवं बांकेलाल शर्मा रहेंगे। 6 मई, बुधवार को पूर्णाहुति के साथ भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। आयोजक रामकली - स्व. रामदीन ओझा, जलदेवी- स्व. मुन्नालाल, गायत्री - बांकेलाल, तथा उर्मिला - विधिचंद का विशेष सहयोग रहेगा। आयोजकों ने श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर कथा श्रवण का लाभ लेने की अपील की है।

'नारी शक्ति' के नाम पर भाजपा का छलावा बेनकाब : कांग्रेस

ग्वालियर, 23 अप्रैल। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी, ग्वालियर के अध्यक्ष सुरेंद्र यादव, ग्रामीण जिलाध्यक्ष प्रभुदयाल जौहरे और अ.भा. कांग्रेस कमेटी की सदस्य व मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव रश्मि पवार शर्मा ने एक संयुक्त बयान जारी कर भाजपा पर महिलाओं को गुमराह करने का आरोप लगाया है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि संसद में हाल ही में हुए घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि भाजपा सरकार महिलाओं के अधिकारों को लेकर गंभीर नहीं है। आरक्षण को 'परिसीमन और जनगणना' की शर्तों से जोड़कर भाजपा ने इसे अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया है। कांग्रेस का मानना है कि यह केवल आगामी चुनावों में लाभ लेने के लिए बुना गया एक राजनीतिक जाल है।

CHANGE OF NAME

I, Madhvi Dubey wife of Army No. 6499664M SEP/ASH Yogesh Kumar presently residing at Vill Chhimake Post - Chhimake Teh - Dabra District Gwalior, State - Madhya Pradesh PIN - 475110 have changed my name from **Madhvi Dubey** to **Madhvi Sharma** vide Affidavit No. DC 279478 Dated 05.02.2026 before District Court Gwalior (M.P.)

जेयू में लापरवाही : कैम्पस में बह रही गंदगी, बदबू से छात्र व स्टाफ परेशान

नवभारत न्यूज

ग्वालियर 23 अप्रैल। एक ओर जहाँ जीवाजी विश्वविद्यालय अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और कैंपस के सौंदर्यीकरण के दावे करता है, वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालय परिसर के हृदय स्थल पर पिछले कई दिनों से नारकीय स्थिति बनी हुई है। लक्ष्मी बाई कन्या छात्रावास और पत्रकारिता विभाग के ठीक सामने खुले मैदान में यूनिवर्सिटी द्वारा खोदे गए एक गड्ढे से निकल रही मलमूत्र की दुर्गंध ने छात्रों का जीना मुहाल कर दिया है। स्थानीय छात्रों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इस समस्या का मुख्य कारण छात्रावास के मलमूत्र के चैंबर का मुख्य सीवर लाइन से न जुड़ा होना है। सीवर लाइन का कनेक्शन न होने के कारण सारा गंदा मल इस खुले गड्ढे में जमा हो रहा है। आलम यह है कि गड्ढा पूरी तरह भर चुका है और अब गंदगी बाहर फैल रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में भयंकर बदबू फैल गई है। गड्ढे के बिल्कुल बगल से गुजरने वाला रास्ता मुख्य मार्ग है, जिसका उपयोग विभिन्न विभागों के छात्र और स्टाफ करते हैं। विभागों के विद्यार्थियों को हर रोज नाक पर रुमाल रखकर इस गंदगी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। कई दिनों से बनी इस स्थिति के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। हैरानी की बात यह है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अब तक इस समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। सीवर लाइन को जोड़ने के बजाय खुले में गंदगी छोड़ना कैंपस के स्वास्थ्य और स्वच्छता अभियान पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है।

नाम परिवर्त सूचना

मेरे पुत्र का सही नाम **अनिरुद्धा शर्मा** (ANIRUDDHA SHARMA) है जो कि उसके जन्म प्रमाण पत्र, मार्कशीट और आदि दस्तावेजो में दर्ज है। आधार कार्ड में तृटिवश उसका नाम **अनिरुद्ध शर्मा** है जो कि गलत है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **अनिरुद्ध शर्मा** (ANIRUDH SHARMA) के स्थान पर **अनिरुद्धा शर्मा** (ANIRUDDHA SHARMA) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **अनिरुद्धा शर्मा** (ANIRUDDHA SHARMA) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम-अनिरुद्ध शर्मा (ANIRUDH SHARMA)
नया नाम- अनिरुद्धा शर्मा (ANIRUDDHA SHARMA)
पिता श्री कुलदीप (KULDEEP SHARMA)
निवासी गली नं. 2 न्यू शिवहरे कॉलोनी मीरा नगर मुरार म.प्र.-474006

नाम परिवर्त सूचना

मुझ प्रार्थीनी का सही नाम **रंजना शर्मा** (RANJANA SHARMA) है जो कि मेरी मार्कशीट, जाति और आदि दस्तावेजों में दर्ज है। आधार कार्ड में मेरा घरू नाम **संजना शर्मा** है। **संजना शर्मा** और **रंजना शर्मा** दोनों ही नाम मुझ एक ही महिला के है। अतः इस सूचना प्रकाशन उपरांत मेरे आधार कार्ड एवं समस्त शासकीय / अशासकीय दस्तावेजों और आदि में मेरा नाम **संजना शर्मा** (SANJANA SHARMA) के स्थान पर **रंजना शर्मा** (RANJANA SHARMA) दर्ज किया जावे व भविष्य में मुझे **रंजना शर्मा** (RANJANA SHARMA) के नाम से जाना पहचाना व पढ़ा लिखा जावे।

पुराना नाम-संजना शर्मा (SANJANA SHARMA)
नया नाम-रंजना शर्मा (RANJANA SHARMA)
पति श्री अनिल कुमार (ANIL KUMAR)
निवासी वाटर वर्क्स नर्सरी के पास भिण्ड म.प्र.-477001

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 01 वार्ड क्रमांक 04 भवन क्रमांक ... व स्थान- कोटेश्वर रोड, स्टोर, एरिया में स्थित है जो कि रामनिवास श्रीवास्तव/एम.एल. श्रीवास्तव के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000218230 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 710 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602016ए1530880 दिनांक 15/9/2016 द्वारा क्रय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र बहोड़ापुर पर दिनांक 23/4/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 60/2010/74018/74224 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 23-4-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
त्रिज्या बंसल/बाल किशन बंसल
पता-कोटेश्वर रोड,स्टोर एरिया ग्वालियर म.प्र.
मो.9826455745

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 15 वार्ड क्रमांक 34 भवन क्रमांक ... व स्थान- 1155, कमल सिंह बाग में स्थित है जो कि अमृतलाल/राधेलाल, योगेश/राधेलाल के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 1000108805 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 251 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी आर 20032600477538 दिनांक 20/3/2026 द्वारा क्रय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द्र गांधी मार्केट पर दिनांक 31/3/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 70/2010/48536/48510 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 23-4-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
प्रीती जैन/राकेश जैन
पता-1155, कमल सिंह बाग ग्वालियर म.प्र.
मो.9131944213

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अन्तर्गत मेरी सम्पत्ति क्षेत्र क्रमांक 02 वार्ड क्रमांक 10 भवन क्रमांक ... व स्थान- सुभाष पुरी में स्थित है जो कि निर्मला/ओम प्रकाश के नाम से नगर निगम में आईडी क्रमांक 9000166320 पर दर्ज है / नहीं है जिसका क्षेत्रफल 500 वर्गफुट है. उक्त सम्पत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रमांक एमपी 142602025ए1176574 दिनांक 15/3/2025 द्वारा क्रय/उत्तराधिकार से प्राप्त/वसीयतनामा से प्राप्त किया गया है. उक्त सम्मति का मेरे द्वारा मध्य प्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के अर्न्तगत धारा 167 के आशयों की पूर्ति सम्पत्तिकर एवं अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान नौमहला पर दिनांक 31/4/2026 को किया गया है. जिसका आवेदन कार्य क्रमांक 61/2010/58195/58402 है। उक्त के संबंध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर स्थित सम्पत्तिकर विभाग कक्ष क्र. 202, 205 में प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति में सुसंलग्न दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी एवं उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

विज्ञप्ति जारी दिनांक 23-4-2026
आवेदक का नाम/पता/मो.नं.
हिमानी त्यागी/पंकज कुमार
पता-सुभाष पुरी ग्वालियर म.प्र.
मो.8849531678

कोर्ट ने कहा, मानसिक आरोग्यशाला संचालक 15 दिन के अंदर उचित फैसला लें

ग्वालियर हाई कोर्ट ने डार्करूम सहायक को दी राहत,याचिकाकर्ता नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करें

ग्वालियर, 23 अप्रैल। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी क्रमांक 2 के समक्ष विवादित आदेश के विरुद्ध एक नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। यदि ऐसा कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रतिवादी क्रमांक 2 उक्त अभ्यावेदन जमा करने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उस पर विचार करेगा और उचित आदेश पारित करेगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया है कि 15 दिन के अंदर उस पर फैसला लें। न्यायमूर्ति आशीष श्रोती की एकल पीठ ने डार्करूम सहायक को एएनएम के पद पर तैनात करने वाले सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिए।

क्या है पूरा मामला?

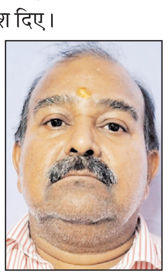

याचिकाकर्ता आलोक सिंह सैनी, जो ग्वालियर में डार्करूम सहायक के पद पर कार्यरत हैं, को विभाग द्वारा जारी एक आदेश के जरिए 'मर्सी होम' अस्पताल में सप्ताह के तीन दिन ड्यूटी करने के निर्देश दिए गए थे। याचिकाकर्ता का तर्क था कि डार्करूम सहायक का पद एक 'तकनीकी पद' है, जबकि उन्हें एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफरी) का कार्य करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिसका उन्हें न तो कोई अनुभव है और न ही आवश्यक प्रशिक्षण।

कोर्ट की कार्यवाही और दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील अर्चना नायक,देव पचौरी,श्याम शर्मा और राजीव श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि इससे पहले भी 31 मार्च को ऐसे ही आदेश जारी किए गए थे, जिसके खिलाफ विभाग को प्रतिवेदन दिया गया था, लेकिन उस पर कोई विचार नहीं किया गया। उन्होंने दलील दी कि एक तकनीकी कर्मचारी से उसकी योग्यता से इतर कार्य लेना सेवा नियमों के विरुद्ध है। ?सरकारी अधिवक्ता ने इस मामले में याचिकाकर्ता के लंबित आवेदन पर नियमानुसार विचार करने पर कोई आपत्ति नहीं जताई। ?मामले की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने रिट याचिका का निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए प्रतिवेदन पर कानून के प्रावधानों के तहत विचार किया जाए और उचित निर्णय लिया जाए।

यह सच की जीत, हम करेंगे दोबारा निवेदन, नहीं मानें तो लड़ाई आगे भी रहेगी जारी : चौरसिया

सर्व मानव कल्याण संघ के अध्यक्ष भानु प्रताप चौरसिया ने कहा कि कर्मचारी को परेशान करने की शिकायत स्वयं कर्मचारियों में हमसें की थी, पहले हमने संचालक को आवेदन दिया, लेकिन जब उन्होंने अपना आदेश वापस नहीं लिया तब मजबूरी मैं कोर्ट जाना पड़ा। अब कोर्ट ने दूसरा आवेदन संचालक को देने के लिए कहा है लेकिन संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं वह कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं और एक्स-रे रुम पर ताला डाल दिया है। संचालक द्वारा कर्मचारियों को यदि अब भी परेशान किया गया तो यह लड़ाई आगे भी जारी रहेगी।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे पक्षकार पदम कुमार अग्रवाल पुत्र श्री अशोक कुमार जी अग्रवाल निवासी- खासगी बाजार, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.) ने, श्रीमती शालनी सेलार, गायत्री सेलार, मनीष सेलार, केशव सेलार, निवासीगण नवाब साहब का कुआ शिन्दे की छावनी लश्कर ग्वालियर से उनके स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि स्थित ग्राम बढौरी, परगना व जिला ग्वालियर पटवारी हल्का नम्बर 45 के आराजी सर्वे क्रमांक 149/1 रकवा 2.121 है.. सर्वे क्रमांक 155/1 मिन रकवा 0.157 है., सर्वे क्रमांक 160/1 रकवा 0.543 है.. सर्वे क्रमांक 187 रकवा 0.397 है, सर्वे क्रमांक 310/1 रकवा 0.293 है. सर्वे क्रमांक 311/5 रकवा 0.773 है., सर्वे क्रमांक 312 रकवा 1.693 है. कुल किता सात जुमला रकवा 5.977 है. को क्रय करने का अनुबंध कर सम्पूर्ण विक्रय धन राशि का भुगतान कर दिया है। विक्रेतागण ने हमारे पक्षकार से उक्त भूमि पर नामांतरण कराकर विक्रय पत्र सम्पादित करने का वायदा किया। हमारे पक्षकार द्वारा विक्रय पत्र सम्पादित करने की कहने पर उन्होंने हमेशा शीघ्र ही विक्रय पत्र संपादित करने की कहा, किन्तु सम्पूर्ण विक्रयधन प्राप्त करने के पश्चात् भी उनके द्वारा हमारे पक्षकार के हित में विक्रयपत्र संपादित करने में हीला-हवाला कर रहे हैं हमारे पक्षकार को जानकारी मिली है कि श्रीमती शालनी सेलार एवं उनके पुत्रों व पुत्री द्वारा कृषि भूमि को बाला- बाला किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति संस्था द्वारा उक्त कृषि भूमि को उनसे क्रय करता/करती हैं तो उक्त विक्रय संव्यवहार हमारे पक्षकार के हितों के विरूद्ध प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य होगा।

दिनांक:- 22/04/2026

जे.पी.एस. बघेल अंशुमान दूदावत
एडवोकेट्स
रामालय, सराफा बाजार, लश्कर ग्वालियर

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती राजेन्द्री पत्नि श्री राजेन्द्र ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट स्थित वैष्णो बिहार कालोनी सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर में है जो कि सर्वे क्र. 387/1, 387/2/2, 388/1/1 का भाग 777 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 51 है, जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. एम.पी. 21 आई.जी.आर 17402025ए 100649416 तारीखी 24.07.2025 मे श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री पूरनसिंह कुशवाह से क्रय किया। लेकिन मेरी पक्षकारा के द्वारा क्रयशुदा सम्पत्ति विक्रय पत्र के तहत चतुरसीमा निम्नानुसार है:-पूर्व में - रोड, पश्चिम में- प्लॉट सम्पत्ति श्रीमती वंदना उत्तर में-दीगर सम्पत्ति दक्षिण में-प्लॉट सम्पत्ति अमर सिंह जिसका कुल क्षेत्रफल 777 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री पूरनसिंह कुशवाह के द्वारा अचल सम्पत्ति प्लॉट मेरी पक्षकारा श्रीमती राजेन्द्री पत्नि श्री राजेन्द्र को विकित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, संस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागों या प्राईवेट फायनेंश को या मेरी पक्षकारा के विक्रेता श्रीमती सुमित्रा देवी के किसी भी परिवारिक सदस्य को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 07 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीका नही होगी और मेरी पक्षकारा उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 777 वर्गफुट को बंधक हाउसिंग लोन की सुविधा पीरामल फायनेंश लिमिटेड ग्वालियर आवंटित करा रही है, जो सुचित हो।

दिनांक-23.04.2026
स्थान- ग्वालियर

संजय बाकलीवाल, एडवोकेट
चिक संतर, मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पक्षकारा श्रीमती संध्या पत्नि श्री ब्रजभान सिंह ने उक्त अचल सम्पत्ति प्लॉट स्थित ग्राम कीरतपुरा जिला भिण्ड में है। जो कि सर्वे क्र. 399/1 का भाग 800 वर्गफुट है। जिसका म्यु. वार्ड क्र. 09 है, जो मेरी पक्षकारा की क्रयशुदा सम्पत्ति ई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दस्तावेज क्र. एम. पी.21आई.जी.आर 16892025 ए100596644 तारीखी 11.07.2025 में भारत सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह से क्रय किया। मेरी पक्षकारा के द्वारा क्रयशुदा सम्पत्ति की चतुरसीमा निम्नानुसार है:- पूर्व में-विक्रेता भूमि पश्चिम में- भूमि केदार सिंह व अन्य उत्तर में - भूमि रतन सिंह व रोशन सिंह दक्षिण में- गली जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट है। लेकिन मेरी पक्षकारा श्रीमती संध्या पत्नि श्री ब्रजभान सिंह की क्रयशुदा सम्पत्ति रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रेता भारत सिंह पुत्र श्री दौलत सिंह के द्वारा विक्रित किये जाने बावत अगर किसी व्यक्ति, बैंक, सस्था, निगम, शासकीय, अशासकीय विभागो या प्राईवेट फायनेंश को कोई या विक्रेता के परिवारिक सदस्य सहभूस्वामी श्रीमती विटटा पत्नि स्व. श्री दौलतसिंह एंव चन्द्रप्रकाश, महेन्द्रसिंह पुत्रगण स्व. श्री दौलतसिंह किसी भी सदस्य को कोई उज्र व आपत्ति हो तो मय सबूत के नीचे पते पर 7 दिवस के अन्दर उपस्थित होकर आपत्ति पेश करे वरना म्याद गुजरने के बाद कोई उज्र व आपत्ति मान्य व स्वीकार नहीं होगी और मेरी पक्षकारा अचल सम्पत्ति प्लॉट जिसका कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफुट को बधंक रखकर हाउसिंग लोन की सुविधा आई.सी.आई.सी.आई. हाउसिंग फायनेंस लिमिटेड सिटी सेंन्टर ग्वालियर से आवंटित करा रहा है, जो सुचित हो।

दिनांक-24.04.2026
स्थान-ग्वालियर

भवदीय
संजय बाकलीवाल एडवोकेट
चिक संतर मुरार ग्वालियर
मो. 9300981954

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर-सिटी, जिला-ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-0104 / अपील / 2025-26

फूलसिंह कुशवाह पुत्र हल्के कुशवाह निवासी ग्राम सौजना, जिला ग्वालियर ....अपीलांट

बनाम

1. मानसिंह पुत्र उदयराज
2. पप्पू पुत्र उदयराज
3. हेमवती कुशवाह पुत्री उदयराज
4. मीना कुशवाह पुत्री उदयराज
5. सोमवती कुशवाह पुत्री उदयराज
6. रामवती कुशवाह पुत्री उदयराज निवासीगण ग्राम सौजना, जिल ग्वालियर (म.प्र.) ......रेस्पोडेंट्स

!! सूचना पत्र !!

एतद् द्वारा जरिये सूचना पत्र समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री काशीराम कुशवाह द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-कुलैथ के प्रकरण क्रमांक 0135 / 2025 -26 / अ-6 ग्राम सौजना में पारित आदेश दिनांक 14.06.2024 के विरुद्ध म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक - 0104 / अपील / 2025 - 26 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 30.4.2026 नियत की गई है।

अतः समस्त आम एवं खास तथा रेस्पोडेंट्स अथवा अन्य जो भी इस प्रकरण में अपने आपको हितधारी समझता हो, स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के द्वारा इस न्यायालय (नवीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, ग्वालियर सिटी स्थित बहोड़ापुर, सागरताल रोड, ऑप्टिमस सुपरस्पे शलिटी हॉस्पीटल के बगल में, कक्ष क्रमाक-11) में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करे।

नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय आदेश कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जावेगा। तत्पश्चात् किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी

यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 9-4-2026 को जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर-सिटी, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), ग्वालियर-सिटी, जिला-ग्वालियर, म.प्र.

प्रकरण क्रमांक-0108 / अपील / 2025-26

फूलसिंह कुशवाह पुत्र हल्के कुशवाह निवासी ग्राम सौजना, जिला ग्वालियर ....अपीलांट

बनाम

1. पतिराम पुत्र मंगलिया कुशवाह
2. शांती पुत्री मंगलिया फोत वारिसान-
(क) मानसिंह पुत्र उदयराज, (ख) पप्पू पुत्र उदयराज (ग) हेमवती कुशवाह पुत्री उदयराज(घ) मीना पुत्री उदयराज, (ङ) सोमवती कुशवाह पुत्री, (च) रामवती कुशवाह पुत्री उदयराज निवासीगण ग्राम सौजना, जिला ग्वालियर 3. गणेशी पुत्री मंगलिया फोत वारिसान
(अ) गोविन्द पुत्र रामसिंह, (ब) गोविन्द पुत्र रामसिंह (स) हरीश पुत्र रामसिंह, (द) हाकिम पुत्र रामसिंह (म) मोहन पुत्र रामसिंह समस्त निवासी कुशवाह मैरिज गार्डन के पास सिकन्दर कम्पू लश्कर ग्वालियर
4. पुनिया पुत्री मंगलिया निवासी ग्राम सौजना, जिला ग्वालियर ...... रेस्पोडेंट्स

!! सूचना पत्र !!

एतद् द्वारा जरिये सूचना पत्र समस्त आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री काशीराम कुशवाह द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-कुलैथ के प्रकरण क्रमांक 0151 / 2022-23 / अ-6 ग्राम सौजना में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 के विरुद्ध म.प्र.भू.राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की गई है, जो इस न्यायालय में प्रकरण क्रमांक-0108 / अपील / 2025-26 पर पंजीबद्ध होकर प्रचलित है, जिसमें सुनवाई हेतु आगामी दिनांक 30-4-2026 नियत की गई है।

अतः समस्त आम एवं खास तथा रेस्पोडेंट्स अथवा अन्य जो भी इस प्रकरण में अपने आपको हितधारी समझता हो, स्वयं अथवा अपने वैद्य प्रतिनिधि के द्वारा इस न्यायालय (नवीन संयुक्त अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, ग्वालियर सिटी स्थित बहोड़ापुर, सागरताल रोड, ऑप्टिमस सुपरस्पेशलिटी हॉस्पीटल के बगल में. कक्ष क्रमांक-11) में उपस्थित होकर पक्ष समर्थन करें। नियत तिथि को उपस्थित न होने की दशा में प्रकरण में एक पक्षीय आदेश कर प्रकरण में सुनवाई कर आदेश पारित कर दिया जावेगा। तत्पश्चात् किसी भी व्यक्ति की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी

यह सूचना पत्र मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से आज दिनांक 9-4-2026 को जारी किया गया।

अनुविभागीय अधिकारी
ग्वालियर-सिटी, जिला-ग्वालियर, (म.प्र.)

भीषण गर्मी में मरीजों की सुविधा के लिए दान करेंगे वाटर कूलर

ग्वालियर। कमला राजा चिकित्सालय की महिला मरीजों के लिए समाज के विभिन्न वर्ग आगे आए और आज शुक्रवार को बड़े साइज के 40 कूलर एवं एक वाटर कूलर भेंट किए जाएंगे। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान, रेडक्रॉस सोसायटी के सचिव नवल किशोर शुक्ला की उपस्थिति में जी.आर. मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. आर.के.एस. धाकड़ को सभी दानदाता सामूहिक रूप से यह कूलर भेंट करेंगे। कैट के राष्ट्रीय संगठन मंत्री भूपेन्द्र जैन ने बताया कि डीन डॉ. आर.के.एस. धाकड़ ने सूचित किया कि चिकित्सालय में कूलर लगवाने हैं, उनके आग्रह को समाज के विभिन्न वर्गों जिनमें समाजसेवी संस्थाओं ने 40 कूलर एवं एक वाटर कूलर भेंट करने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया कि ग्वालियर सेवाभाव समिति, भोजन वितरण केन्द्र सुपरस्पेशलिटी हॉस्पीटल के सामने जेएएच कैम्पस में यह कूलर भेंट होंगे.

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 16, वार्ड क्रं 41,स्थान लोककला अपार्टमेंट, फडनीस की गोठ,लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि भारती जेठानी/लोकुमल पमनानी,अशोक पमनानी/ लोकुमल पमनानी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000296388 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-05052500507586 दिनांक 05.05.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द जीवाजीगंज, क्षे.क्र 16, पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 81/2010/38996/61185 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
शिवासिंह परमार/स्व. गोपाल सिंह
पता-फडनीस की गोठ लश्कर ग्वा0(म.प्र.)
मो0-8103963626
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 16, वार्ड क्रं 41,स्थान लोककला अपार्टमेंट,फडनीस की गोठ, लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि रश्मि देवी/ किशोर कुमार के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1004368604 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 685 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-12042600635905 दिनांक 13.04.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द जीवाजीगंज, क्षे.क्र 16, पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 81/2010/38997/61186 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
वर्षा जैन/राकेश जैन
पता-फडनीस की गोठ लश्कर ग्वा0(म.प्र.)
मो0-7974911277
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 20, वार्ड क्रं 53, भवन क्रं 1430,स्थान सूर्य नगर गंजीवाला मौहल्ला ग्वा0 मे स्थित है जो कि श्रीमती सुमन जायसवाल/बृजकिशोर जायसवाल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000172429 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 200 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602025ए1088066 दिनांक 07.02.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज, क्षे.क्र 20, पर दिनांक 23.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65456/65522 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
मनोरमा कोरी/रूध्वेश चव्हाण
पता-सूर्य नगर गंजी वाला मौहल्ला ग्वा0(म.प्र.) मो0-8963982266
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 20, वार्ड क्रं 47, भवन क्रं 1300,स्थान लक्ष्मी अपार्टमेंट सात भाई की गोठ लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि अनिल सहगल/स्व. शंकरलाल सहगल, जतिन सहगल/ अनिल सहगल के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000165775 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 700 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं 20838 दिनांक 07.08.2010 उत्तराधिकार द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द 20 सिंधी कॉलोनी बरार समाज, क्षे.क्र 20, पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 74/2010/65449/65515 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
अनिल सहगल/स्व. शंकरलाल सहगल
पता-लक्ष्मी अपार्टमेंट, सात भाई की गोठ लश्कर ग्वा0(म.प्र.) मो0-6260563187
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 18, वार्ड क्रं 49,स्थान समाधिया कॉलोनी ग्वा0 मे स्थित है जो कि हर्षा भगतानी/दिलीप भगतानी के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1004575584 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 1057.5 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R-11032600406814 दिनांक 12.03.2026 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गोरखी पानी टंकी, क्षे.क्र 18,पर दिनांक 17.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 83/2010/18753/41051 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
करन कंजवानी/मुकेश कंजवानी
पता-समाधिया कॉलोनी ग्वा0(म.प्र.)
मो0-8989101186
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 18, वार्ड क्रं 40,स्थान हनुमान गली,लाला का बाजार लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि शेख सहगर अली,शेख जाहिर अली/शेख अनामत अली के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000178969 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 348 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं एमपी142602023ए12398099 दिनांक 22.09.2023 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गोरखी पानी टंकी,क्षे.क्र 18, पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 83/2010/18758/41056 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
लता चौधरी/भगवान सिंह चौधरी
पता-हनुमान गली,लाला का बाजार लश्कर ग्वा0(म.प्र.) मो0-9827680604
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026

नामांकन विज्ञप्ति/आम सूचना

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम ग्वालियर क्षेत्र के अंतर्गत मेरी संपत्ति क्षेत्र क्र 18, वार्ड क्रं 40,स्थान लाला का बाजार लश्कर ग्वा0 मे स्थित है जो कि नौसे खां/स्व. पप्पन के नाम से नगर निगम मे आई डी क्र 1000110515 पर दर्ज है। जिसका क्षेत्रफल 300 वर्गफुट है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रं R--17092501366062 दिनांक 18.09.2025 द्वारा प्राप्त किया गया है। उक्त संपत्ति को मेरे द्वारा मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 अंतर्गत धारा 167 के आशयों की पूर्ति संपत्तिकर एंव अन्य उपकर की वसूली हेतु नामांकन आवेदन जनमित्र समाधान केन्द गोरखी पानी टंकी, क्षे.क्र 18, पर दिनांक 22.04.2026 को किया गया है। जिसका आवेदन कार्य क्रं 83/2010/18759/41057 प्र. क्र.... 3/11 है। उक्त के संबध में यदि किसी को आपत्ति हो तो कार्यालय आयुक्त नगर निगम ग्वालियर सिटी सेंटर मे स्थित संपत्तिकर विभाग कक्ष क्रं. 205,202 मे प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में लिखित में अपनी आपत्ति मय सुसंगत दस्तावेज सहित प्रस्तुत करें। नियत अवधि पश्चात कोई आपत्ति मान्य नही होगी एंव उक्त कार्यालय द्वारा युक्तियुक्त निर्णय लिया जावेगा।

आवेदक का नाम व पता -
लता चौधरी/भगवान सिंह चौधरी
पता-लाला का बाजार लश्कर ग्वा0(म.प्र.)
मो0-9827680604
विज्ञप्ति जारी दिनांक-23.04.2026